

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इकतीस'

[9/12/2016]

प्रश्न सं. [क. 1668]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1668 की जानकारी

परिशिष्ट "अ"

छात्रवृत्ति की दरें (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति)

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (मासिक दरें)																												
क्र	समूह	दरें		फीस प्रतिपूर्ति हेतु अभिभावक की वार्षिक आय-सीमा समस्त गुप हेतु																								
अ		गैर छात्रावासी (निर्वाह - भत्ता)	छात्रावासी (निर्वाह - भत्ता)	जुलाई 10 से लागू संशोधित आय सीमा																								
1	2	3	4	5																								
1	समूह-1	550/-	1200/- + 300/- = 500/-	योजना अन्तर्गत केन्द्र शासन द्वारा वार्षिक आय सीमा रु0 250 लाख निर्धारित है। इस सीमा तक निर्वाह भत्ता के अलावा पाठ्यक्रमों की अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। 250 लाख से 300 लाख तक आय सीमा के विद्यार्थियों को अनिवार्य शुल्कों के आधे शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के खर्च से की जाती है।																								
2	समूह-2	530/-	820/-																									
3	समूह-3	300/-	570/-																									
4	समूह-4	230/-	380/-																									
<p>ब- 300 लाख की आय सीमा तक अशासकीय महाविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति हेतु 07 पाठ्यक्रमों (एम.फार्मा छोड़कर) तथा अनुसूचित जाति हेतु 08 पाठ्यक्रमों में फीस नियामक समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। फीस नियामक समिति द्वारा वर्तमान में निम्नानुसार फीस निर्धारित है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>पाठ्यक्रम</th> <th>निर्धारित फीस</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>एम.बी.बी.एस.</td> <td>5,00,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>बी.डी.एस.</td> <td>135000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>बी.ई.</td> <td>37000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>बी.फार्मा.</td> <td>37000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>पोलिटैक्निक</td> <td>22000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>नर्सिंग</td> <td>40,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>बी.एड</td> <td>25000</td> </tr> </tbody> </table>						पाठ्यक्रम	निर्धारित फीस		एम.बी.बी.एस.	5,00,000		बी.डी.एस.	135000		बी.ई.	37000		बी.फार्मा.	37000		पोलिटैक्निक	22000		नर्सिंग	40,000		बी.एड	25000
	पाठ्यक्रम	निर्धारित फीस																										
	एम.बी.बी.एस.	5,00,000																										
	बी.डी.एस.	135000																										
	बी.ई.	37000																										
	बी.फार्मा.	37000																										
	पोलिटैक्निक	22000																										
	नर्सिंग	40,000																										
	बी.एड	25000																										
<p>कमिटेड लायबिलिटी से ऊपर होने वाले व्यय की पूर्ति केन्द्र शासन द्वारा की जाती है।</p>																												

MBBS/MS/MD/B.E/M.E/
MBA/CPL/CA/CS/M
PHIL /
P.Hd/D.sc/D.lett/LLM/ect

B.pharma/Nursing/Hotel
managmrent/M/Sc./M.c
om
/M.Ed/M.Pharma (only
for SC category)

B.A/B.Sc./B.com/B.Ed
ect.

XI,XII/ITI/Polytecnic
etc.

उपायुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश